

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

अधीक्षण अभियन्ता ((योजना))

विद्युत भवन, हाथीभाटा, जयपुर रोड अजमेर-305001

फोन/फैक्स नं.-0145.2632462/2632462, E-mail:- se_plan@rediffmail.com

क्रमांक: अविविनिलि/अ.अ.(योजना)/अज/आर.ई./प्रे.

दिनांक

No 5369

4 OCT 2012

आदेश

विषय :- कृषि कनेक्शन हेतु प्रमाण-पत्र के संदर्भ में।

निगम आदेश संख्या वाणिज्य अ.ज.-453 दिनांक 05.08.2010 के तहत कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन के समय लिये जाने वाले तहसीलदार द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र में निर्धारित किया गया था।

विभिन्न प्रमाण पत्रों के संबंध में प्रमाण-पत्रों की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.06.2012 के अनुसार जब आवेदनकर्ता अपनी भूमि की जमाबन्दी जो उसके मालिकाना हक का प्रमाण है तथा खसरे का नक्शा जिसमें कुआं, बनाने का अंकन किया हुआ है की प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कर देता है एवं विद्युत विभाग का विभागीय प्रतिनिधि मौके की तस्दीक कर लेता है तो राजस्व अधिकारी के द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

इस संबंध में डिस्कॉम कॉर्डिनेशन फॉर्म की 42वीं बैठक दिनांक 13.08.2012 को आयोजित की गई जिसमें उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र लिए जाने के प्रावधान को समाप्त कर इसके स्थान पर स्वयं आवेदक द्वारा 10 रू० के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटेरी द्वारा सत्यापित) संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी को विवाद के संबंध में निर्णय/समाधान हेतु भेजा जा सकता है।

सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी तुरन्त प्रभाव से उपरोक्त दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित करेंगे।

R.R No. 913 ... Dt. 8/10/12
S.E. (IT) A.V.V.N.L., Ajmer

21st 10/12
(आर डी गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा विभाग), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
3. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण) अजमेर डिस्कॉम, उदयपुर/झुंझुनू।
4. मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा/अंकेक्षण/राजस्व), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम.....
अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/प्लान/एम.एम/आर.डी.पी.पी.सी./आई.टी.),
अजमेर डिस्कॉम अजमेर/उदयपुर/जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षण (सतर्कता), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, (), अजमेर डिस्कॉम.....
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी (), अजमेर डिस्कॉम.....
11. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
12. प्रभारी, विधि विभाग, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
13. प्रावेधिक सहायक, प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
14. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर।
15. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
16. निजी सहायक, निर्देशक (वित्त/तकनीकि), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
17. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

21/11/15
(आर डी गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि, अजमेर

“ प्रमाण पत्र तहसीलदार” के स्थान पर उपभोक्ता/प्रार्थी से लिये जाने वाले “शपथ पत्र का प्रारूप”

शपथ पत्र

मैं/हमसुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्रीजाति
.....निवासी ग्राम/शहरशपथपूर्वक
बयान करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा कुआंग्राम के भू राजस्व
क्षेत्र में स्थित है तथा मेरा/हमारा कुआं राजस्व अभिलेख के अनुसार खसरा नं०
.... में स्थित है और यह खेती के कार्य में ही उपयोग में लिया जाता है। इस कुएं व खेत
का मैं/हम स्वयं ही मालिक हूँ/है। इस शपथ पत्र में उल्लेखित कोई तथ्य गलत पाया
जावे तो उसके लिए मेरी जिम्मेदारी रहेंगी।